मुजहना MUJAHANA weekly

77, Khera Khurd, Delhi-110082 (BHARAT)
R.N.I. REGISTRATION No.68496/97
Price this issue: Rs. 2/- Yearly Rs. 100/-. Life member Rs. 1000/-.

Mujahana• Bilingual-Weekly• Volume 21 Year 21 **ISSUE 37AYGOR, Sep 09-15, 2016**. Published every Thursday for Manav Raksha Sangh, Registered Trust No 35091 by Ayodhya Prasad Tripathi, at 77, Khera Khurd, Delhi – 110082. ``Phone +91-9868324025.; +(91) 9152579041 . Printed by Ayodhya Prasad Tripathi at 77 Khera Khurd, Delhi-110082. **Editor: Ayodhya Prasad Tripathi.** Processed on Desk Top Publishing & CYCLOSTYLED by **Ayodhya Prasad Tripathi.** Email: aryavrt39@gmail.com; Web site: http://aaryavrt.blogspot.com and http://www.aryavrt.com Muj16W37AYGOR BLIPASHU

ॐ

ॐ

Ph: (+91)9868324025/9152579041

सार्वभौम आर्यावर्त सरकार

७७ खेड़ा खुर्द,दिल्ली ११००८२.

Letter No. ..... Date.....

||श्री गणेशायेनमः||

प्रेसनोट

बलिपशु राज्यपाल.

विषय: उपनिवेश, बाइबल, कुरान व भारतीय संविधान?

संदर्भ: उपनिवेश व अब्रह्मी संस्कृतियों को संरक्षण.

महामहिम जी!

२०वीं सदी के मीरजाफर पाकपिता - राष्ट्रहंता बैरिस्टर मोहनदास करमचन्द गांधी, पाकिस्तान जिसकी लाश पर बन सकता था, ने इंडिया को स्थायी रूप से ब्रिटेन को सौंप दिया और हमारे पूर्वजों के ९० वर्षों के स्वातन्त्रय युद्ध का अपहरण कर गया. १९४७ से आज तक उपनिवेशवासी स्वतंत्रता का युद्ध लड़ने का साहस भी गवां बैठे हैं. निम्नलिखित अभिलेख के अधीन उपनिवेशवासी आज भी ब्रिटिश उपनिवेश की प्रजा हैं.

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/10-11/30

एलिजाबेथ ने महामहिम जी का मनोनयन इसलिए किया है कि जो भी उपनिवेश का विरोध करे, उसे महामहिम जी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९६ के अधिकार से संस्तुति देकर, भारतीय दंड संहिता की धारा १२१ के अधीन फांसी दिलवायें. एलिजाबेथ कौन है, जानने के लिए नीचे की लिंक क्लिक करें:-

http://www.aryavrt.com/elizabeth-kaun-hai

क्या महामहिम जी एलिजाबेथ के उपनिवेश से मुक्त होना नहीं चाहते?

कुरान के अनुसार अल्लाह व उसके इस्लाम ने मानव जाति को दो हिस्सों मोमिन और काफ़िर में बाँट रखा है| धरती को भी दो हिस्सों दार उल हर्ब और दार उल इस्लाम में बाँट रखा है| (कुरान ८:३९). काफ़िर को कत्ल करना (कुरआन ८:१७) व दार उल हर्ब धरती को दार उल इस्लाम में बदलना मुसलमानों का जिहाद यानी काफिरों की हत्या करने का असीमित संवैधानिक मौलिक मजहबी अधिकार है| क्या महामहिम जी आतंकित नहीं होते?

अब्रह्मी संस्कृतियों ने जहां भी आक्रमण या घुसपैठ की, वहाँ की मूल संस्कृति और निवासियों को नष्ट कर दिया| लक्ष्य प्राप्ति में भले ही शताब्दियाँ लग जाएँ, ईसाइयत और इस्लाम आज तक विफल नहीं हुए| महामहिम जी के बचने का उपाय क्या है?

अल्पसंख्यक शब्द ही धोखा है| ईसाई व मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि क्रमशः विश्व की प्रथम व द्वितीय आबादी हैं| अल्पसंख्यक तो हम वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी हैं| 'मात्र अल्लाह पूज्य है' सर्वधर्मसमभाव कैसे है? 'जो ईसा को राजा स्वीकार न करे, उसे कत्ल कर दो' आजादी कैसे है? क्या महामहिम जी ईसाइयत और इस्लाम का विरोध कर सकते हैं?

आतताई अब्रह्मी संस्कृतियों, ईसाइयत और इस्लाम, को इंडिया में रहने का अधिकार कैसे है? मुसलमानों को (ईशनिंदा) अज़ान, देने और कत्ल करने के उपदेश देने का अधिकार कैसे है? मोहम्मद / इस्लाम का महिमामंडन भारतीय संविधान के अनुच्छेद २९(१) से प्रायोजित क्यों? एलिजाबेथ वैदिक सनातन संस्कृति के अनुयायियों को अमेरिकी लाल भारतीयों की भांति नष्ट कर रही है.

एलिजाबेथ के पुलिस के संरक्षण में मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर काफिरों को कत्ल करने के खुत्बे और अज़ान यानी ईशनिंदा का प्रसारण किया जाता है. काफिरों को अज़ान और 'कलिमा' द्वारा चेतावनी दी जाती है, "ला इलाहलिल्लाहू मुहम्मद्दुर रसुल्ल्लाहू". इस अरबी वाक्य का अक्षरशः अर्थ है, "मात्र अल्लाह की पूजा हो सकती है. मुहम्मद अल्लाह का रसूल है|" यानी कि एलिजाबेथ की

सरकार स्वयं काफिरों यानी कि वैदिक सनातन संस्कृति के अनुयायियों को मिटा रही है. वैदिक सनातन संस्कृति के अनुयायियों के पास भारतीय दंड संहिता की धारा १०२ के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, वैदिक सनातन संस्कृति के अनुयायी मस्जिद को ध्वस्त और मुसलमानों को कत्ल क्यों न करें**?** विवरण के लिए नीचे की लिंक क्लिक करें:-

http://www.aryavrt.com/fatwa

आतताई अब्रह्मी संस्कृतियों, ईसाइयत और इस्लाम, को इंडिया में रहने का अधिकार कैसे है**?** मुसलमानों को अज़ान, देने और कत्ल करने के उपदेश देने का अधिकार कैसे है**?** मोहम्मद और इस्लाम का महिमामंडन क्यों? क्या महामहिम जी के पास यह पूछने का साहस है?

भारतीय दंड संहिता की धाराओं १५३ व २९५ के अधीन, मालेगांव के मामले सहित, मेरे विरुद्ध ५० अभियोग चले. ३ आज भी लम्बित हैं. उपरोक्त दोनों धाराओं के अधीन किये गए अपराध राज्य के विरुद्ध अपराध हैं, जिनका नियंत्रण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९६ के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास है. लेकिन अज़ान और कत्ल करने के खुत्बे देने वाले किसी ईमाम पर महामहिम जी! ने अभियोग नहीं चलाया. राज्यपाल का मनोनयन मनुष्य के पुत्र का मांस खाने व लहू पीने वाली डायन (बाइबल, यूहन्ना ६:५३) एलिजाबेथ के मातहत और उपकरण करते हैं. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९६ का संकलन हर उस व्यक्ति को कत्ल कराने, उसका मांस खाने और लहू पीने का डायन एलिजाबेथ को सुगम मार्ग प्रशस्त करता है, जो ईसा को राजा नहीं स्वीकार करता. (बाइबल, लूका १९:२७). सन १८६० में उपरोक्त २ धाराएँ लागू हुई थीं, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९६ के प्रभाव के कारण आज तक बपतिस्मा, चर्च, अज़ान और मस्जिद पर लागू नहीं की गईं. अबभी सावधान हों जाएँ!

दंड प्रक्रिया संहिता की धारायें १९६ व १९७, जिनका नियंत्रण राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास सुरक्षित है, वैदिक सनातन संस्कृति के रक्षार्थ किये गये किसी भी विरोध को बड़ी चतुराई से निष्क्रिय कर देती हैं| इस प्रकार एलिजाबेथ राष्ट्रपति और राज्यपाल के कंधे पर रायफल रख कर अपने शत्रुओं को मार रही है और कोई एलिजाबेथ के विरुद्ध ऊँगली भी नहीं उठा सकता! विरोध करें.

ईसाइयत और इस्लाम का संरक्षण, पोषण व संवर्धन करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेदों २९(१), ३९(ग), ६०, १५९ और दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं १९६ व १९७ आदि को मानवजाति को मिटाने के लिए संकलित किया गया है. यानी मानवमात्र के गले पर रखी तलवार है. पद, प्रभुता और पेट के लोभ में राज्यपालों ने इन्हीं कानूनों व भारतीय संविधान के संरक्षण, पोषण व संवर्धन की शपथ ली है. इनके पास कोई विकल्प नहीं है| या तो ये अपने ही सर्वनाश की शपथ लें, अन्यथा पद न लें| कितने असहाय हैं महामहिम जी? क्या विरोध करेंगे?

ईसाइयत [(बाइबल, व्यवस्था विवरण १२:१-३), **{**(बाइबल, मत्ती १०:३४) व (बाइबल, लूका १२:४९)**}** और इस्लाम (कुरान २:२१६) निरंतर युद्धरत सम्प्रदाय हैं| दोनों ही लोकतंत्र की आड़ में विश्व में अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिये मानवजाति के स्वतंत्रता व चरित्र को मिटा रहे हैं| इस बर्बरता और सभ्यता और एक विश्व आपदा के बीच टकराव को टालने के लिए एक ही रास्ता है कि ईसाई और इस्लाम मजहब के भ्रम को बेनकाब किया जाय और उन्हें रहस्यमय नहीं रहने दिया जाय. गैर मुसलमानों और गैर ईसाइयों को मुसलमानों और ईसाइयों के साथ शांति से जीने के लिए यह आवश्यक है कि अब्रह्मी संस्कृतियों से प्रत्येक ईसाई व मुसलमान को विलग कर दिया जाये|

इसीलिए मुसलमानों और ईसाइयों को अपने अब्रह्मी संस्कृतियों को त्यागना होगा, अपने नफरत की संस्कृति (मात्र अल्लाह पूज्य है की अज़ान द्वारा घोषणा और अकेले यीशु मोक्ष प्रदान कर सकते हैं की चर्च से घोषणा का परित्याग करना पडेगा) **-** गैर मुसलमानों और गैर ईसाइयों में साथी के रूप में शामिल होना होगा| अन्यथा गैर मुसलमानों और गैर ईसाइयों को नैतिक अधिकार है कि वे मुसलमानों और ईसाइयों से स्वयं को अलग कर लें| अब्रह्मी संस्कृतियों को प्रतिबंधित करें| मुसलमानों और ईसाइयों के आव्रजन को प्रतिबंधित कर दें और उन्हें कत्ल कर दें, जो मानवजाति को दास बनाने अन्यथा कत्ल करने का षड्यंत्र कर रहे हैं - सर्वधर्म समभाव के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं| अब्रह्मी संस्कृतियों के आचरण मानवता और नैतिकता के विरुद्ध हैं|

मैं महामहिम जी से आग्रह करता हूँ कि यदि वे मानवजाति को बचाना चाहते हों, तो मेरी सलाह मानें. हिटलर के मॉयन काम्फ़ (**Mein Kampf)** की भांति बाइबल, कुरान और भारतीय संविधान को प्रतिबंधित करने में आर्यावर्त सरकार की सहायता करें. ताकि मानवजाति को बचाया जा सके.

अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी (सू० स०) आर्यावर्त सरकार,
फोन: (+९१) ९८६८३२४०२५/९१५२५७९०४१

०८ सितम्बर. २०१६. **8:32 PM**

http://www.aryavrt.com/muj16w37aygor-blipashu

http://pgportal.gov.in

Your Registration Number is : DARPG/E/2016/16405